

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्दौर

आ दे श

दिनांक 19 दिसम्बर 2011

क्र०	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
1	श्री राघवेन्द्र सिंह, (आय०ए०एस) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्दौर	(अ) राजस्व / न्यायालयीन कार्य:- 1-म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 पंचायत,नगर निगम/नगर पंचायत के अंतर्गत प्रस्तुत अपील निगरानी एवं मूल प्रकरणों का निराकरण। अनुभाग- 1.इन्दौर 2. डॉ०अम्बेडकरनगर(महू) 3.सांवेर 4. देपालपुर 5. हातोद (प्रत्येक दसवा प्रकरण) 2-म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम.1990 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण निराकरण थाना क्षेत्र:- 1.सेन्द्रल कोतवाली 2. एम०जी०रोड 3.तुकोगंज, 3- प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूतियों हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण (प्रस्तुत प्रत्येक दसवा प्रकरण) 4- जिला निर्वाचन अधिकारी 5- प्रमुख जनगणना अधिकारी
2	श्री नारायण पाटीदार, (रा.प्र.से.) अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर	(अ)राजस्व/न्यायालयीन कार्य:- 1- म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959, पंचायत राज अधिनियम नगर पंचायत नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलनिगरानी एवं मूल प्रकरणों का निराकरण(तहसील हातोद,सांवेर देपालपुर) प्रत्येक 1 से 9 प्रकरण तक। 2- राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत कार्यवाही। 3. राजस्व पुस्तक परिपत्र-6(4) के अन्तर्गत जिला कलेक्टर को प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अधिकार अपने प्रभार क्षेत्र के अनुभाग सांवेर, देपालपुर एवं ,हातोद के प्रकरणों का निराकरण। 4- धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व देवस्थान तथा वक्फ सम्पति तहत कार्यवाही 5- संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित मानचित्र अनुमोदन हेतु तहसील सांवेर,देपालपुर एवं हातोद (ब) दाण्डिक:- 1-म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम.1990 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण थाना क्षेत्र- 1.मल्हारगंज 2. सदरबाजार 3 एरोड्म थाना क्षेत्र- 1 सराफा 2 छत्रीपुरा 3 पंढरीनाथ थाना क्षेत्र- 1 परदेशीपुरा 2 बाणगंगा, 3 हीरानगर थाना क्षेत्र- 1. अन्नपुर्णा 2. राजेन्द्रनगर 3.चंदननगर तहसील क्षेत्र के थाना :-1 बेटमा 2 गोतमपुरा 3 हातोद,4 क्षिप्रा 5 सांवेर 6 देपालपुर 2. प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुर्नगठन एवं

क0	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
		<p>प्रतिभूतियों हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण (प्रस्तुत 7 से 9 प्रकरण)</p> <p>(स) विविध प्रभार:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- निर्वाचन शाखा 2- स्टेशनरी / लायब्रेरी शाखा 3- टायपिंग / फोटोकापी 4- जी.एम.एफ.सी 5- वरिष्ठ लिपिक शाखा 6- रेव्हेन्य मोहरीर शाखा 7- भू-अर्जन शाखा 8- सदर वसूल बाकी नवीस 9- पिटीशन शाखा, 10- शिकायत शाखा 11- नकल शाखा 10- शिकायत लोकायुक्त प्रभारी मंत्री एवं अन्य मंत्री एवं संभाग आयुक्त से प्राप्त शिकायत जन शिकायत निवारण पी0जी0आर0 11- आवक-जावक शाखा 12- अल्पबचत / लाटरी 13- समाधान केन्द्र 14- सूचना के अधिकार 15- अदिम जाति कल्याण विभाग 16- अन्त्यव्यवसायी सहकारी विभाग 17- कर्मचारी कल्याण 18- ब्रिस्क 19- जिला योजना मण्डल 20- पेयजल परिवहन 21- लोकल बाडी 22- जिला शहरी विकास अभिकरण 23- नगरीय कल्याण 24- सहायक अधीक्षक राजस्व / सामान्य 25- सामान्य अभिलेखागार / राजस्व अभिलेखागार 26- सस्कृति पुरातत्व एवं पर्यटन प्रकोष्ठ 27- विभिन्न बैठकों की जानकारी का संकलन / प्रस्तुतीकरण 28- लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 29- अल्पसंख्यक आयोग 30 हिन्दू मेरिज एक्ट एवं विशेष विवाह अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण। 31 स्थापना / लेखा / नजारत शाखा 32 सचिव भारतीय रेडक्रास सोसायटी जिला शाखा इन्दौर 33 सालवंशी एवं 34 सुखा राहत, 35 ऋण राहत योजना 36 खनिज 37 विभागीय जांच 38 जिला कोषालय 39 नगर कोषालय

क्र०	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
		<p>38 मण्डी भार साधक अधिकारी 30 खाद्य सुरखा और मानक अधिनियम 2006 में विभिन्न अपराधों के प्रकरणों में निर्णय हेतु न्याय निर्णायक अधिकारी</p> <p>(स) भू-प्रबंधन का प्रभार:- 1- भू-प्रबंधन अधिकारी, भू-अभिलेख, भूमि परिवर्तन नजूल शाखा एवं सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा इंदौर 2- राजस्व एवं वनभूमि संरक्षण कार्य/सीमा विवाद 3- कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर के क्षेत्राधिकार के समस्त प्रकरणों का निर्वतन</p> <p>(द) वित्तीय अधिकार:- 1- प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि/विभागीय भविष्य निधि, अग्रिम/आंशिक आहरण की स्वीकृति बाबद 2- प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के अर्जित अवकाश, यात्रा अवकाश लघुकृत अवकाश स्वीकृति तथा वेतन वृद्धि स्वीकृति। 3-रुपये 50.000/-के वित्तीय स्वीकृति के अधिकार</p> <p>अन्य:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय समय पर सोपे गये अन्य कार्य।</p>
3	<p>श्री अलोक कुमार सिंह, (अपर कलेक्टर, अपर कलेक्टर एवं अति.जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर</p>	<p>(अ) राजस्व /न्यायालयीन कार्य:- 1 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959, पंचायत राज अधिनियम, नगर पंचायत नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपील निगरानी एवं मूल प्रकरणों का निराकरण (तहसील, इन्दौर एवं महु) (प्रत्येक 1 से 9 के प्रकरण) 2. राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत कार्यवाही। 3. राजस्व पुस्तक परिपत्र-6(4) के अन्तर्गत जिला कलेक्टर को प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अधिकार अपने प्रभार क्षेत्र के अनुभाग इन्दौर एवं महु के प्रकरणों का निराकरण। 4. संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित मानचित्र अनुमोदन हेतु तहसील इन्दौर एवं महु</p> <p>(ब) दाण्डिक कार्य:- 1- अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के रूप में इन्दौर शहर की कानून व्यवस्था का कार्य जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में करेंगे। 2- म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम.1990 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण।</p> <p><u>थाना क्षेत्र:-</u> 1. संयोगितागंज, 2. छोटी ग्वालटोली 3 पलासिया <u>थाना क्षेत्र:-</u> 1. विजय नगर 3. एम.आय.जी 4 खजराना 5 लसुडिया <u>थाना क्षेत्र-</u> 1 जुनी इन्दौर 2 रावजी बाजार 3 भंवरकुआ <u>तहसील क्षेत्र के थाने :-</u>1 खुडेल, 2 बडगोदा 3 महु 4 मानपुर 5 किशनगंज</p> <p>3.-प्रतिभूतिकरण और वित्तीय अस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूतियों हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण (प्रस्तुत 1 से 6 तक प्रकरण) <u>तहसील क्षेत्र के थाना :-</u>1 महु 2 मानपुर 3 किशनगंज क्षेत्र</p>

क0	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
		<p>4- प्रतिभूतिकरण और वित्तिय अस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूतियों हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण (प्रस्तुत 1 से 6 तक प्रकरण)</p> <p>5- प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही ।</p> <p>6- आर्म्स अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति ।</p> <p>(ब) विविध प्रभार:-</p> <p>1- सत्कार (प्रोटोकाल) शाखा</p> <p>2- चरित्र सत्यापन</p> <p>3- जे0सी0शाखा</p> <p>4- मानव अधिकार शाखा</p> <p>5- दंगा राहत एवं पूर्णवास</p> <p>6- स्लम रिहेबीलिटेशन (गंदी बस्ती उन्मूलन)</p> <p>7- नकल शाखा</p> <p>8- आपदा प्रबंधन</p> <p>9- खाद्य शाखा</p> <p>10-आबकारी शाखा</p> <p>11-स्वर्ण नियंत्रण</p> <p>12-शस्त्र नियमों के अंतर्गत लायसेंस से संबंधी समस्त कार्यवाही</p> <p>13:-शस्त्र अधिनियम एक्सप्लोसिव एक्ट के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही ।</p> <p>13 -पेट्रोलियम एवं एक्सप्लोसिव एक्ट के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र</p> <p>14-भारतीय नागरिकता एवं पासपोर्ट संबंधी कार्यवाही /जांच</p> <p>15-होमगार्ड ,नागरिक सुरक्षा संबंधी कार्यवाही</p> <p>16-खाद्य औषधि एवं सौंदर्य प्रशासन संबंधी ।</p> <p>17-शस्त्र अधिनियम एक्सप्लोजिव एक्ट के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही</p> <p>18-नगर विकास यातायात समिति संबंधी कार्य</p> <p>19-अनुज्ञापि लिपिक</p> <p>20-सिनेमाग्रा अधिनियम /वीडियों लायसेन्स</p> <p>21-केन्द्रीय जेल एवं जिला जेल</p> <p>22-मीसाबंदीयो से संबंधित कार्य</p> <p>23-सांख्यकी लिपिक (एस0डब्ल्यू)</p> <p>(द) भू-प्रबंधन का प्रभार</p> <p>1- नजूल प्रकरण में कार्यवाही अपील तथा निगरानी प्रकरण नजूल रिकार्ड का संधारण एवं नजूल जांच</p> <p>2 प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के 30 दिवस के अर्जित अवकाश अवकाश यात्रा लघुकृत अवकाश स्वीकृति तथा वेतन वृद्धि स्वीकृति</p> <p>(इ) विविध अन्य प्रभार:-</p> <p>1- पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना एवं अपराधिक अन्वेषण ब्यूरो के प्रकरणों में रा0प्र0से0एवं राजस्व अधिकारियों को साक्ष्य एव विवेचना संबंधी कार्य ।</p> <p>2- सक्षम अधिकारी के द्वारा पर पी.सी.एंड पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु अधिकृत</p>

क्र०	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
		<p>अधिकारी।</p> <p>3- जिला कोषालय /नगर कोषालय</p> <p>4- जिला बीमारी सहायता,स्वास्थ्य,आर.सी.एच. ग्रामीण हेल्थ मिशन अरबन हेल्थ, रोगी कल्याण समिति जिला-चिकित्सालय,</p> <p>5- नादारी जांच</p> <p>6 -प्रशासक श्री वैष्णव पालीटेकनिक महाविद्यालय इन्दौर</p> <p>(द) वित्तीय अधिकार -</p> <p>1-प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि/विभागीय भविष्य निधि, अग्रिम/आंशिक आहरण की स्वीकृति बाबद</p> <p>2-प्रभार की शाखाओं के कर्मचारियों के अर्जित अवकाश,अवकाशयात्रा लघुकृत अवकाश स्वीकृति तथा वेतन वृद्धि स्वीकृति।</p> <p>3-रुपये 50.000/-के वित्तिय स्वीकृति के अधिकार</p> <p>अन्य:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय समय पर सोपे गये अन्य कार्य।</p>
4	<p>श्री गोपालचंद डाड, (अपर कलेक्टर) अपर कलेक्टर(विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,इन्दौर</p>	<p>1.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ,इन्दौर</p> <p>2. विकास शाखा</p> <p>अतिरिक्त अन्य प्रभार:-</p> <p>1-आदिम जाति कल्याण विभाग</p> <p>2-अन्त्यावसायी सहकारी समिति।</p> <p>3-जिला योजना एवं सांख्यिकीय विभाग।</p> <p>4-पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग।</p> <p>5-सुखा राहत शाखा।</p> <p>6- 20 सूत्रीय</p> <p>7-11 सुत्रीय (मूलभूत)सुविधा</p> <p>8- परख</p> <p>7- समाधान आन लाईन,</p> <p>8-नोडल अधिकारी, ग्राम जनसम्पर्क</p> <p>9- जनदर्शन</p> <p>10-स्थानीय निर्वाचन (पंचायत)</p> <p>11-मुख्यमंत्री भ्रमण के दौरान प्राप्त आवेदन /शिकायत /जन कल्याण शिविरों के आवेदनों का निराकरण।</p> <p>7-नोडल अधिकारी:- सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिबद्ध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन,आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलो पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली 2008 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए अन्य प्रभार</p> <p>1 अध्यक्ष बहु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हारआश्रम इन्दौर के कार्यालयीन व्यवस्था संबंधी गठित परामर्शदात्री समिति केअध्यक्ष का प्रभार</p> <p>2 केन्द्रीय विद्यालय क1 इन्दौर के अध्यक्ष का प्रभार</p> <p>3 बाल विनय मंदिर के मनेजमेण्ट कमेटी के अध्यक्ष का प्रभार</p> <p>3-रुपये 50.000/-के वित्तिय स्वीकृति के अधिकार</p> <p>अन्य:-</p>

क्र०	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
		कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय समय पर सोपे गये अन्य कार्य।
5	श्री शरद श्रोत्रिय, संयुक्त कलेक्टर एवं एस०डी०एम० मल्हारगंज क्षेत्र इन्दौर	<p>(ब)दाण्डिक कार्य:-</p> <p>1-दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार। थाना क्षेत्र :-1. मल्हारगंज 2. सदर बाजार 3. एरोडूम</p> <p>2.-म०प्र० दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत।</p> <p>3-25 पुलिस एक्ट के अंतर्गत लावारिस एवं लादावा सम्पत्ति का निराकरण</p> <p>4-उपर्युक्त थाना क्षेत्रों के बी०पी०एल०कार्ड तैयार करना</p> <p>5-अपने प्रभार के क्षेत्र के आय एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करना।</p> <p>6-सिटी मजिस्ट्रेट इन्दौर की हैसियत से इन्दौर नगर थाना क्षेत्र- 1. मल्हारगंज 2. सदर बाजार 3. एरोडूम क्षेत्रों क्षेत्रों के लिये कानून व्यवस्था संबंधी समस्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा दण्ड संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन क प्रभारी अधिकारी होंगे।</p> <p>विविध: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय समय पर निर्देशित अन्यकार्य</p> <p>(स) प्रभारी अधिकारी</p> <p>1 नजारत</p> <p>2 निर्वाचन/स्थानीय भारत निर्वाचन</p> <p>3 अधीक्षक राजस्व/सामान्य</p> <p>5 रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट</p> <p>6 प्र०अ०समाधान</p> <p>7 पी०सी०एण्ड पीएनडीटी एक्ट 1994 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।</p> <p>8 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सोपे गये कार्य करनां</p>
6	श्री विवके श्रोत्रिय, (संयुक्त कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी इन्दौर एवं एस०डी.एम० जुनी इन्दौर	<p>(अ)-राजस्व प्रकरणों का निराकरण:-</p> <p>(1) म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 के अंतर्गत तहसील इंदौर के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन</p> <p>(2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 तथा 172 के अंतर्गत उपखंड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग। तहसील इन्दौर के ग्राम :- 1 निरंजनपुर 2 भमोरीदुबे 3 सुखलिया 4 गाडराखेडी 5 बडाबांगडदा 6 छोटाबांगडदा 7 नैनोद 8 जम्बुडीहप्सी 9 भागीरथपुरा 10 बाणगंगा</p> <p>(3) विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग</p> <p>(4) म.प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग।</p> <p>(5) लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग</p> <p>(6) म.प्र.स्थान नियंत्रण अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी, (नगर निगम सीमा छोडकर)</p> <p>(7) वक्फ संबंधी कार्य</p> <p>(8) कालोनी सेल से संबंधित कार्य</p>

क0	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
		<p>(ब) दाण्डिक कार्य:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार ग्रामीण क्षेत्र थाना-खुडेल शहरी क्षेत्र थाना:- 1. जुनी इन्दौर 2. रावजी बाजार 3 भंवरकुआ, 2 म0प्र0दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। 3 25 पुलिस एक्ट के अंतर्गत लावारिस एवं लादावा सम्पत्ति का निराकरण। 4 उपर्युक्त थाना क्षेत्रों के बी0पी0एल0कार्ड तैयार करना। 5 अपने अधिकार थाना क्षेत्र के आय एवं जाति प्रमाण-पत्र जारी करना। <p>(स)-प्रभारी अधिकारी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- जल उपभोक्ता राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 2- इंदौर तहसील में सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण <p>(द) विविध अन्य प्रभार:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-पी0सी0एण्ड0पीएनडीटी एक्ट 1994 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 2-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय समय पर निर्देशित अन्यकार्य
7	<p>श्री अविनाश लवानिया, सहायक कलेक्टर(भाप्रसे) एवं अनुविभागीय अधिकारी डॉ0अम्बेडकरनगर महु</p>	<p>(अ)- राजस्व प्रकरणों का निराकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील महु क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन। 2-म.प्र. भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 59 तथा 172 के अंतर्गत उपखंड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग महु अनुभाग। 3-विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग। 4-म.प्र. सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का क्षेत्र में उपयोग 5-लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग 6-वक्फ संबंधी कार्य <p>(ब)-दाण्डिक कार्य :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार महु अनुभाग 2-म0प्र0दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। 3-25 पुलिस एक्ट के अंतर्गत लावारिस एवं लादावा सम्पत्ति का निराकरण। 4-उपर्युक्त अनुभाग अंतर्गत महु थाना क्षेत्रों के बी0पी0एल0कार्ड तैयार करना। 5-अपने अधिकार थाना क्षेत्र के आय एवं जाति प्रमाण-पत्र जारी करना। <p>(स)-प्रभारी अधिकारी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- भू- अर्जन अधिकारी (रक्षा सम्पदा) अनुभाग,महु <p>(द) विविध अन्य प्रभार:-</p>

क्र०	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
		<p>1-पी0सी0 एण्ड. पीएनडीटी एक्ट 1994 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।</p> <p>2-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देशित अन्य कार्य</p> <p>(अ)- राजस्व प्रकरणों का निराकरण के लिए श्री गौतमसिंह संयुक्त कलेक्टर को प्राधिकृत किया गया।</p> <p>1-म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील महु क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन।</p> <p>2-म.प्र. भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 59 तथा 172 के अंतर्गत उपखंड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग महु अनुभाग।</p> <p>3-विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग।</p> <p>4-म.प्र. सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का क्षेत्र में उपयोग</p> <p>5-लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग</p> <p>6-वक्फ संबंधी कार्य</p>
8	<p>श्री जितेन्द्रसिंह चौहान (रा.प्र.से) डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी क्षेत्र सराफा</p>	<p>(अ) दाण्डिक कार्य:-</p> <p>1-दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार थाना क्षेत्र-1. सराफा 2. छत्रीपुरा 3. पंढरीनाथ</p> <p>2- म0प्र0दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत।</p> <p>3- 25 पुलिस एक्ट के अंतर्गत लावारिस एवं लादावा सम्पत्ति का निराकरण।</p> <p>4- उपर्युक्त थाना क्षेत्रों के बी0पी0एल0कार्ड तैयार करना।</p> <p>5- अपने अधिकार थाना क्षेत्र के आय एवं जाति प्रमाण-पत्र जारी करना।</p> <p>6- सिटी मिजिस्ट्रेट इन्दौर की हैसियत से इन्दौर नगर के थाना:- 1 सराफा 2 छत्रीपुरा 3 पंढरीनाथ क्षेत्रों के लिये कानून व्यवस्था संबंधी समस्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा दण्ड संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे।</p> <p>(ब)-प्रभारी अधिकारी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जिला शहरी विकास अभिकरण इन्दौर (डूडा) 2. लोकल बाडी 3. ई-गर्वनेस 4. प्रशासक ,श्री गणेश मंदिर खजराना,इन्दौर <p>(स) विविध अन्य प्रभार:-</p> <p>1. पी0सी0एण्ड पी.एन.डी.टी एक्ट 1994 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।</p> <p>2. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देशित अन्य कार्य</p>

क्र०	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
9	श्री श्रीकांत बनोट सहायक कलेक्टर(भाप्रसे) अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी देपालपुर	<p>ब)–दाण्डिक कार्य :-</p> <p>1–दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार देपालपुर अनुभाग</p> <p>2–म०प्र०दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत।</p> <p>3–25 पुलिस एक्ट के अंतर्गत लावारिस एवं लादावा सम्पत्ति का निराकरण।</p> <p>4–उपर्युक्त अनुभाग अंतर्गत देपालपुर थाना क्षेत्रों के बी०पी०एल० कार्ड तैयार करना।</p> <p>5 अपने अधिकार थाना क्षेत्र के आय एवं जाति प्रमाण-पत्र जारी करना।</p> <p>(स)–प्रभारी अधिकारी:-</p> <p>1. जिला गणना अधिकारी</p> <p>2. स्टेशनरी एवं लायब्रेरी शाखा</p> <p>(द) विविध अन्य प्रभार:-</p> <p>1–पी०सी० एण्ड. पीएनडीटी एक्ट 1994 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।</p> <p>2–कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देशित अन्य कार्य</p>
10	डॉ० गौतमसिंह, संयुक्त कलेक्टर एवं एस०डी०एम०सिटी विजयनगर क्षेत्र	<p>(अ)–राजस्व प्रकरणों का निराकरण</p> <p>(1) म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 तथा 172 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग।</p> <p>तहसील इन्दौर के ग्राम:-1 पलासिया 2 पिपल्याहाना, 3बाक 4 पिपल्याराव 5 कोडियाबर्डी 6 पिपल्याकुमार 7 बिलावली 8 कबीरखेडी 9 टिगरियाराव 10 कनाडिया</p> <p>(ब)–दाण्डिक कार्य:-</p> <p>1–दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार ।</p> <p>थाना क्षेत्र:- 1 विजयनगर 2 एम,आय.जी. 3 खजराना 4 लसुडिया</p> <p>2.–म०प्र० दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत।</p> <p>3–25 पुलिस एक्ट के अंतर्गत लावारिसएवं लादावा सम्पत्ति का निराकरण</p> <p>4–उपर्युक्त थाना क्षेत्रों के बी०पी०एल०कार्ड तैयार करना</p> <p>5–अपने प्रभार के क्षेत्र के आय एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करना।</p> <p>6–सिटीमिजिस्टेट इन्दौर की हैसियत से इन्दौर नगर थाना क्षेत्र :-1 विजयनगर 2. एम,आय.जी. 3 खजराना 4 लसुडिया क्षेत्रों के लिये कानून व्यवस्था संबंधी समस्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा दण्ड संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन क प्रभारी अधिकारी होंगे।</p> <p>(स) प्रभारी अधिकारी:-</p> <p>2–नगरीय कल्याण</p> <p>4–बिस्क शाखा</p> <p>5–भू-अर्जन</p>

क्र०	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
		<p>(द) विविध अन्य प्रभार:-</p> <p>1-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड</p> <p>2-प्रशासक, श्री रणजीत हनुमान मंदिर अन्नपूर्णा</p> <p>3-प्र०अ० लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त शिकायतों के प्रकरणों की जांच।</p> <p>4-नोडल अधिकारी:-सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 के लिए नगरीय क्षेत्र, नगर पचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र से समन्वय स्थापित करना।</p> <p>अतिरिक्त प्रभार:-</p> <p>(अ)- राजस्व प्रकरणों का निराकरण:-</p> <p>1- म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील देपालपुर क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन एवं भू-अर्जन के प्रकरणों का संपादन</p> <p>2-म.प्र. भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 59 तथा 172 के अंतर्गत उपखंड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग देपालपुर अनुभाग</p> <p>3-विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग।</p> <p>4-म.प्र. सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का क्षेत्र में उपयोग।</p> <p>5-लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग।</p> <p>6-वक्फ संबंधी कार्य</p> <p>7-पी०सी० एण्ड. पीएनडीटी एक्ट 1994 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।</p> <p>8-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देशित अन्य कार्य करना।</p>
11	<p>श्री शीलेन्द्र सिंह, (संयुक्त कलेक्टर) एस.डी.एम.सिटी एवं सेन्ट्रल कोतवाली क्षेत्र</p>	<p>(अ) राजस्व प्रकरणों का निराकरण:-</p> <p>1- अनुविभागीय अधिकारी हातोद का प्रभार</p> <p>2- नजूल अधिकारी इन्दौर</p> <p>(ब)-दाण्डिक कार्य:-</p> <p>1-दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार। थाना क्षेत्र:- 1 सेन्ट्रल कोतवाली, 2 एम.जी.रोड,3 तुकोगंज. 4 महिला थाना 5 हरिजन थाना 6 जी०आर०पी०थाना</p> <p>2.-म०प्र० दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत।</p> <p>3-.25 पुलिस एक्ट के अंतर्गत लावारिस एवं लादावा सम्पत्ति का निराकरण</p> <p>4-उपर्युक्त थाना क्षेत्रों के बी०पी०एल०कार्ड तैयार करना</p> <p>5-अपने प्रभार के क्षेत्र के आय एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करना।</p> <p>6-सिटी मिजिस्टेट इन्दौर की हैसियत से इन्दौर नगर थाना:- 1 सेन्ट्रल कोतवाली, 2 एम.जी.रोड,3 तुकोगंज. 1 महिला थाना 5 हरिजन थाना 6 जी०आर०पी०थाना क्षेत्रों के लिये कानून व्यवस्था संबंधी समस्त कार्य सम्पादित</p>

क0	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
		<p>करेंगे तथा दण्ड संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे।</p> <p>(स) प्रभारी अधिकारी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-जिला विभागीय जांच अधिकारी 4-खनिज शाखा 5-जे0सी0शाखा 6-नजूल 7-स्थापना/लेखा/नजारत 8-लोक सूचना अधिकारी 9-गृह निर्माण मण्डल से प्राप्त विक्रय/अंतरण पत्रों पर कलेक्टर की हैसियत से हस्ताक्षर। <p>(द) विविध अन्य प्रभार:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- नोडल अधिकारी म0प्र0राज्य कर्मचारी कल्याण समिति जिला इन्दौर की इकाई हेतु शासकीय सेवकों के कल्याण एवं उनकी समस्याओं का निराकरण। 2- पी0सी0 एण्ड. पीएनडीटी एक्ट 1994 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 3- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देशित अन्य कार्य करना
12	<p>श्री बी0बी0एस0तोमर (रा.प्र.से.)</p> <p>अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी सांवेर</p>	<p>(अ)- राजस्व प्रकरणों का निराकरण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील सांवेर क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन। 2-म.प्र. भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 59 तथा 172 के अंतर्गत उपखंड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग सांवेर अनुभाग। 3-विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग। 4-म.प्र. सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का क्षेत्र में उपयोग 5-लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग 6-वक्फ संबंधी कार्य <p>(ब)-दाण्डिक कार्य :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार सांवेर अनुभाग 2-म0प्र0दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। 3-25 पुलिस एक्ट के अंतर्गत लावारिस एवं लादावा सम्पत्ति का निराकरण। 4-उपर्युक्त अनुभाग अंतर्गत सांवेर थाना क्षेत्रों के बी0पी0एल0कार्ड तैयार करना। 5-अपने अधिकार थाना क्षेत्र के आय एवं जाति प्रमाण-पत्र जारी करना <p>(अ)-राजस्व प्रकरणों का निराकरण:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) म.प्र. भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 59 तथा 172 के अंतर्गत उपखंड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग।

क0	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
		<p>तहसील इन्दौर के ग्राम :- 1 खजराना 2 खजरानी 3 लसुडियामोरी 4 भिचौली मर्दाना 5 तलावलीचांदा 6 निपानिया 7 देवगुराडिया 8 मुण्डला नायता 9 भिचौली हप्पी 10 पालदा 11 चितावद 12 लिम्बोदी</p> <p>(स) प्रभारी अधिकारी:- 2-जिला सत्कार अधिकारी (प्रोटोकाल) 4-भू-प्रबंधन शाखा 5-भू-अभिलेख/भूमि-परिवर्तन शाखा /नगर भूमि सीमा तथा कम्प्यूटराईजेशन संबंधी कार्य</p> <p>(द) विविध अन्य प्रभार 1- पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट 1994 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना 2- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देशित अन्य कार्य करना।</p>
13	श्री साधुलाल प्रजापति (डिप्टी कलेक्टर) एस.डी.एम.सिटी परदेशीपुरा क्षेत्र	<p>(अ)-राजस्व प्रकरणों का निराकरण :- 1-म.प्र. भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 59 तथा 172 के अंतर्गत उपखंड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग। तहसील इन्दौर के ग्राम:-1 सुलकाखेडी, 2 तेजपुर गडबडी, 3 बिजलपुर4.सुखनिवास 5.अहिरखेडी 6 हुकमाखेडी 7 राउ 8 रंगवासा 9 कस्बा इन्दौर 10 रेसीडेन्सी एरिया</p> <p>(ब)-दाण्डक कार्य:- 1- दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार। थाना क्षेत्र :-1. परदेशीपुरा 2. बाणगंगा 3. हीरानगर 2- म0प्र0दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। 3- 25 पुलिस एक्ट के अंतर्गत लावारिस एवं लादावा सम्पत्ति का निराकरण। 4- उपर्युक्त थाना क्षेत्रों के बी0पी0एल0कार्ड तैयार करना। 5- अपने अधिकार थाना क्षेत्र के आय एवं जाति प्रमाण-पत्र जारी करना। 6- सिटी मिजिस्टेट इन्दौर की हैसियत से इन्दौर नगर के थाना:-1. परदेशीपुरा 2. बाणगंगा 3. हीरानगर क्षेत्रों के लिये कानून यवस्था संबंधी समस्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा दण्ड संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे। 7 भाडा नियंत्रण अधिकारी (भाडा नियंत्रण अधिनियम) लोक परिसर अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी</p> <p>(स) प्रभारी अधिकारी:- (द) विविध अन्य प्रभार:- 1- पी0सी0 एण्ड. पीएनडीटी एक्ट 1994 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 2- नोडल अधिकारी :-ग्राम जनसम्पर्क/लोक सम्पर्क 3- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर</p>

क्र०	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
		निर्देशित अन्य कार्य करना
14	<p>श्री सुधीर तारे, (डिप्टी कलेक्टर) एवं एस०डी०एम० (संयोगितागंज क्षेत्र)</p>	<p>(अ)-(अ)-राजस्व प्रकरणों का निराकरण (1) म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 तथा 172 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग। तहसील इन्दौर के ग्राम 1 कलोद हाला 2 केलोद करताल 3 मुसाखेडी 4 सिरपुर 5 झलारिया 6 अरडिया 7 मायाखेडी 8 बावलयाखेडी 9 शकरखेडी 10 निहालपुरमण्डी</p> <p>(ब)-दाण्डक कार्य:- 1- दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार थाना क्षेत्र:-1 संयोगितागंज 2 छोटीगवाल टोली. 3 पलासिया 2.-म०प्र० दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत। 3-25 पुलिस एक्ट के अंतर्गत लावारिस एवं लादावा सम्पत्ति का निराकरण 4-उपर्युक्त थाना क्षेत्रों के बी०पी०एल०कार्ड तैयार करना 5-अपने प्रभार के क्षेत्र के आय एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करना। 6-सिटी मिजिस्टेट इन्दौर की हैसियत से थाना:-1 संयोगितागंज 2 छोटीगवाल टोली. 3 पलासिया क्षेत्रों के लिये कानून व्यवस्था संबंधी समस्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा दण्ड संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे।</p> <p>(स)प्रभारी अधिकारी :- 1-सदर वसूल बाकी नवीस शाखा 2-जी०एम०एफ०सी० 4-पेयजल एवं राहत शाखा 5-पिटीशन/शिकायत/जनसुनवाई 7-अल्प संख्यक कल्याण संबंधी कार्य 8-शिकायत, लोकायुक्त प्रभारी मंत्री एवं अन्य मंत्री एवं संभाग आयुक्त से प्राप्त शिकायत जन शिकायत निवारण पी०जी०आर० 9 पुर्नवास एवं दंगाराहत शाखा 10-रीडर टू कलेक्टर 11-स्लम रिहेबीलिटेशन (गंदीबस्ती उन्मूलन) 12-शहरी शिक्षा 13-जिला संस्थागत वित्त शाखा 14-अल्पबचत शाखा</p> <p>(द) विविध अन्य प्रभार:- 1- पी०सी० एण्ड. पीएनडीटी एक्ट 1994 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 2- जगन्नाथ मीडिल स्कूल के प्रशासक (एस०डी०एम० संयोगितागंज) 3- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देशित अन्य कार्य करना</p>

क्र०	अधिकारी का नाम	कार्य का विवरण
15	श्री रेवासिंह चौहान डिप्टी कलेक्टर एवं एस०डी०एम०अन्नपूर्णा	<p>(ब)–दाण्डिक कार्य :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1–दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार अनुभाग अन्नपूर्णा के अन्तर्गत समस्त थाना क्षेत्र शहरी क्षेत्र थाना 1 अन्नपूर्णा,2 राजेन्द्रनगर,3 चन्दननगर 2– म०प्र०दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। 3– 25 पुलिस एक्ट के अंतर्गत लावारिस एवं लादावा सम्पत्ति का निराकरण। 4– उपर्युक्त अनुभाग अंतर्गत हातोद थाना क्षेत्रों के बी०पी०एल०कार्ड तैयार करना। 5 अपने अधिकार थाना क्षेत्र के आय एवं जाति प्रमाण–पत्र जारी करना। 6. अनुविभागीय दण्डाधिकारी मल्हारगंज क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार <p>(स) प्रभारी अधिकारी</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 कलेक्टोरेट की विभिन्न शाखाओं का कम्प्यूटरराईजेशन कार्य 2–सामान्य अभिलेखागार 3–राजस्व अभिलेखागार 4 अल्पबचत एवं राज्य लाटरीज शाखा 5 धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व देवस्थान तथा वकप संपत्ति तहत कार्यवाही <p>(द) विविध अन्य प्रभार:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1– पी०सी० एण्ड. पीएनडीटी एक्ट 1994 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 2– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्देशित अन्य कार्य।
16	सुश्री वंदना पाराशर, डिप्टी कलेक्टर जिला इन्दौर	<p>(स)प्रभारी अधिकारी</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नजारत शाखा 2 आवक जावक शाखा 3. टायपिंग शाखा 4. वरिष्ठ लिपिक शाखा 5–चरित्र सत्यापन 6–आपदा प्रबंधन 7–अर्द्धशासकीय पत्रों की मॉनिटरिंग 8–जिला बीमारी सहायता एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रकरण प्र०अ०सहायक अधीक्षक राजस्व के माध्यम से भेजने संबंधी कार्य 9. नकल–शाखा

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर